**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1918**

**03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए**

**म्यांमार के साथ संयुक्त गश्त**

**1918. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे :**

**श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :**

**डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :**

**श्री कुलदीप राय शर्मा :**

**डॉ. अमोल राम सिंह कोल्हे :**

**डॉ. सुभाष रामराव भामरे :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय नौसेना ने म्यांमार के साथ संयुक्त समन्वित गश्त की है तथा यदि हां, तो इसके तत्संबंधी लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ इसमें शामिल व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त संयुक्त समन्वित गश्त (कोरपाट) में भाग लेने वाले नौसेना के जहाजों एवं नौसैनिकों की संख्या कितनी है ;

(ग) भारत के लिए इस संयुक्त समन्वित गश्त के अर्जित लाभ क्या हैं ;

(घ) क्या देश को समुद्र के रास्ते से वाह्य धमकियां बढ़ी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने देश में समुद्री क्षेत्रों के गहन गश्ती के द्वारा सामुद्रिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसी कार्ययोजना का प्रतिपादन किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित या अन्य उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

## उत्तर

## रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च): जी, हां । भारतीय नौसेना ने अवैध रूप से मछली पकडने, मादक पदार्थों की तस्करी करने तथा समुद्री डकैती को रोकने और उसका दमन करने, समुद्र में तलाशी एवं बचाव (एसएआर) संक्रियाओं संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करना, कार्मिकों / हथियारों / गोला-बारूद के गैर-कानूनी आवागमन को रोकने तथा समुद्रीय परिवेश के संरक्षण में योगदान देने के उद्देश्य से म्यांमार नौसेना के साथ मई, 2019 में संयुक्त समन्वित गश्त (कोर्पेट) आयोजित की है । कोर्पेट पर होने वाला व्यय भारतीय नौसेना को प्रदत्त संक्रियात्मक टर्नअराउंड (ओटीआर) के लिए स्वीकृत समग्र निधियों द्वारा शासित होता है ।

भारतीय नौसेना ने अपने कर्मीदल के साथ तीन परिसंपत्तियों से सह-समन्वित गश्त में भाग लिया था ।

देश की सुरक्षा को समुद्रीय मार्ग के जरिए होने वाले खतरों का नियमित अंतराल पर आकलन किया जाता है । तटीय सुरक्षा संरचना की मानीटरिंग, समीक्षा तथा आकलन एक सतत् प्रक्रिया है और इसे आवधिक आधार पर किया जाता है ।

राष्ट्रीय समुद्रीय एवं तटीय सुरक्षा सुदृढ़ीकरण समिति (एनसीएसएमसीएस) तटीय सुरक्षा उपायों के बारे में प्रगति को मानीटर करती है । भारत सरकार ने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा सीमांतर्गत जलक्षेत्र विशेष रूप से तट के निकट उथला जलक्षेत्र में गश्त और निगरानी के लिए तटीय राज्यों / केंद्र शासित राज्यों के पुलिस बलों की क्षमताओं का संवर्धन करने के लिए 2225.91 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ चरणबद्ध रूप में तटीय सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है । अन्य उपायों में निगरानी तंत्र में सुधार करना, वर्धित गश्त तथा नियमित आधार पर आयोजित किए गए संयुक्त संक्रियात्मक अभ्यास सम्मिलित हैं ।

*****